सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 63/17 **निर्णय दिनांकः— 08.08.2019**

1. जालूसिंह पुत्र धन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. खंगसिंह पुत्र धन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रीमती बन्नेकंवर पत्नि धन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सुमेर सिंह पुत्र धन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. उच्छवकंवर पत्नि रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. सदुकंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. किसनाकेंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. कैलाशकंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. नन्दकंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. द्रोपतीकंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. लक्ष्मण सिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
11. शेरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
12. जयपाल सिंह रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
13. गजेन्द्र सिंह रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

14. हरिसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
15. कृष्णकंवर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
16. सवाईसिंह पुत्र धौंकलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिंगसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16—12—2016
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 व 3
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—12—2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि मौजा रोही नौसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 50 में 12.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 में 6.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 99 में 21.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 में 1.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 में 6.62 हेक्टर व खसरा नम्बर 205 में 0.70 हेक्टर कुल तादादी 49.69 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 43 में 15.78 हेक्टर भूमि जिसमें 2.78 हेक्टर

भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की तथा 13.00 हेक्टर भूमि अपीलांट के स्वर्गीय पिता धन्ने सिंह के नाम से खातेदारी भूमि थी। जिनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 15 के पति एवं पिता के नाम से प्रत्येक के हिस्से में 1/5 — 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अविभाजित रकबा 1/5 हिस्सा था जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने सभी पुत्रों को रिलिज कर दिया गया तथा उसके पश्चात् अपीलांट के हिस्सें में 16.36 हेक्टर भूमि आनी चाहिए थी तथा इसमें भी अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भुमि सभी हिस्सेदारों के आनी चाहिए थी। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने न्यायालय को गुमराह करते हुए 16.45 हेक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसका उसे कतई अधिकार हासिल नहीं था।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निर्विवाद रूप से साबित था कि कैम्प में विभाजन किया गया था वह न्यायसंगत नहीं है क्योंकि ना तो तहसीलदार अथवा पटवारी द्वारा मौका देखा गया, मात्र कैम्प में बैठे बैठे ही विभाजन प्रस्ताव रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के कहे अनुसार तैयार करते हुए डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट ने अपने भाई के विश्वास पर हस्ताक्षर कर दिये गये तथा उसे यह बताया गया था कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जा रहा है, जबकि अपीलांट के वास्तवकि कब्जे काश्त के विरूद्व जाकर खाता विभाजन करवा लिया गया। जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि तत्समय अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि संयुक्त खाते की भूमि पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों की सहमति से या मौके के अनुसार विभाजन हो सकता है। सीधे विभाजन कानूनन नहीं हो सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा तथ्यों को छुपा कर अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसे

प्रस्तुत करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं थे। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के कानून अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा तमाम कानूनों को ताक पर रख कर अपीलांट्स के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसकी कानून में कोई मान्यता न तो कभी थी और ना ही है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड के अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित किया है। जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन तेा बहुत पहले ही हो चुका था, उसी अनुरूप अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन करते हुए जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में बताई गई है उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा प्रारम्भ से ही चला आ रहा है तथा अपीलांट मौके पर ढाणी व कुण्ड बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त स्थिति का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अच्छी से अच्छी भूमि की डिक्री प्राप्त की गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत को धोखे में रख कर डिक्री प्राप्त की गई है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वे सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन

आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—12—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 07—11—2017 को पेश की गई है जोकि करीब 11 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

उन्होनें आगे बताया कि आराजी जैर भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है जिसका सभी सहखातेदारों की आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया है जिसकी अपीलांट को पूर्ण जानकारी व सहमति थी तथा उसने विभाजन पर अपने अंगूठे भी लगाये है व इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों की सहमति होन के कारण दिनांक 09—02—2013 को विभाजन का आदेश प्रसारित किया गया है। विभाजन के बाद सभी पक्षों के नाम अलग खाता दर्ज हो चुका है तथा सभी पक्ष अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अपने खातों पर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया गया है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित है कि विभाजन सभी पक्षकारों की मौजूदगी व सहमति से हुआ है जिसका ज्ञान अपीलांट को प्रारम्भ से ही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट निरन्तर हाजिर रहा है तथा उसके अधिवक्ता ने भी खंगसिंह का दावा खारिज करने की मांग की है जो स्वीकार की गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट को तमाम कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारिवारिक लड़ाई झगड़ें से बचने के लिए व वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हेतु

अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त सम्मनों की विधिवत तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात् अदालत मातहत की पत्रावली निरन्तर पक्षकारों की उपस्थिति में तलबी/जवाब/साक्ष्य के स्तर पर जैरकार रही है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत क निर्देशों के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित आकर वहॉ मौजूद पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये। उक्त विभाजन के प्रस्ताव में सभी पक्षकारों जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट शामिल है, के हितों को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि का विभाजन करते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी के अनुरूप पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन होने से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 117, आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1095, आरआरडी 2011 पेज 228, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 711, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1110 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में अपीलांट सहित सभी सह खातेदारों की सहमति पर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का तकासमा किया गया। उक्त प्रस्तावों पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। उक्त तकासमा के आधार पर अपीलांट का कुल 16.34 हेक्टर भूमि का अलग खाता कायम होने के उपरान्त अपीलांट ने भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया। अन्य सह खातेदार खंग सिंह द्वारा उक्त बंटवारें को अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष चुनौती देने पर अपीलांट बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष हाजिर था। तत्पश्चात् मामला उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष विचारित होने के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता श्री सोहननाथ न्यायालय में हाजिर थे। इसप्रकार अपीलांट् गत् 5 वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लगातार बतौर पक्षकार हाजिर रहा है। इसके उपरान्त भी अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का जानकारी नहीं थी, अप्रासंगिक है। अपील निर्धारित मियांद 60 दिन के बजाय 11 माह बाद अर्थात 9 माह के विलम्ब से पेश की गई है। परीक्षण न्यायालय क आदेशों की पुख्ता जानकारी के उपरान्त भी 9 माह के विलम्ब से अपील पेश करने का ठोस एव संतोषजरक कारण नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 16—12—2016 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर